

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 233/2019

दायर दिनांक :- 16.10.2019

अनवान

श्री हरिसिंह पिता भैरु सिंह राजपूत नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री सोजी पिता रतना मीणा नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
2. श्री रामदयाल पिता कल्याण मीणा नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
3. श्री अखराज सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
4. श्री नारायण सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
5. श्री श्रवणसिंह पिता छीतरसिंह राजपूत नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
6. श्री कल्याण पिता रामदयाल मीणा नि. भीम का खेडा तह. जहाजपुर
7. श्री पन्ना पिता मोडू मीणा नि. डोला तह. जहाजपुर
8. श्री सोजीराम पिता जगनाथ मीणा नि. टोला तह. जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम भीम का खेडा प० ह० बरोदा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 46/140, 50/1, 94/3, 94/5, 11/2, 12/3, 57/3, 45/1, 87/2 कुल कित्ता 10 रकबा 33.03 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भीम का खेडा प० ह० बरोदा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 46/140, 50/1, 94/3, 94/5, 11/2, 12/3, 57/3, 45/1, 87/2 कुल कित्ता 10 रकबा 33.03 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

